भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1856
दिनांक 01 अगस्त, 2023 / 10 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ में कार्यदशाएं

†1856. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के 50,000 से अधिक कर्मियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष, 2022 में सबसे अधिक कर्मियों लगभग 12,000 कर्मियों ने नौकरी छोड़ी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच की अवधि के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लगभग 700 कर्मियों ने आत्महत्या की और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह सच है कि नौकरी छोड़कर जाने का ऐसा स्तर सुरक्षा बलों की कार्य दशाओं को प्रभावित कर सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) कर्मियों को बल में बने रहने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु कार्य दशाओं में पर्याप्त सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2022 के आंकड़ों सहित) के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र के कारण अपनी नौकरी छोड़ने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	बल का नाम												कुल योग	
	सीआरपीएफ		बीएसएफ		आईटीबीपी		एसएसबी		सीआईएसएफ		एआर			
	वीआर	आर	वीआर	आर	वीआर	आर	वीआर	आर	वीआर	आर	वीआर	आर	वीआर	आर
2018	2706	163	3959	328	326	116	311	133	452	949	1474	23	9228	1712
2019	2481	146	3847	436	336	152	416	117	540	545	1288	19	8908	1415
2020	1320	90	3310	211	427	156	354	85	469	250	1011	7	6891	799
2021	3501	132	5235	478	652	207	363	205	645	202	366	17	10762	1241
2022	3019	82	5341	408	613	180	302	148	762	337	1174	14	11211	1169
कुल	**13027**	**613**	**21692**	**1861**	**2354**	**811**	**1746**	**688**	**2868**	**2283**	**5313**	**80**	**47000**	**6336**

वीआर- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। आर- त्यागपत्र।

(ग): वर्ष 2018 से 2022 तक के दौरान आत्महत्या करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**बल का नाम**						**कुल योग**
	सीआरपीएफ	**बीएसएफ**	**आईटीबीपी**	**एसएसबी**	**सीआईएसएफ**	**एआर**	
2018	36	32	5	9	9	5	96
2019	40	31	14	15	17	12	129
2020	54	30	13	18	18	9	142
2021	57	44	10	9	21	14	155
2022	43	37	9	14	26	7	136
कुल	230	174	51	65	91	47	658

(घ) और (ङ): सरकार का सीएपीएफ और एआर के कल्याण एवं कार्य स्थितियों/सुविधाओं में सुधार करने का निरंतर प्रयास है। सीएपीएफ और एआर कार्मिकों के कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने हेतु किए गए उपाय अनुलग्नक में दिए गए हैं।

******

लोक सभा अता. प्र.सं. 1856, दिनांक 01.08.2023

अनुलग्नक

सीएपीएफ और एआर के कार्मिकों में तनाव को कम करने और उनके कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने हेतु किए गए उपाय

(i) सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के स्थानांतरण एवं छुट्टी से संबंधित पारदर्शी नीतियां बनाना। किसी कार्मिक द्वारा कठिन क्षेत्र में सेवा करने के पश्चात यथासंभव उसकी पसंदीदा तैनाती पर विचार किया जाता है। ड्यूटी के दौरान घायल होने के कारण अस्पताल में बितायी गई अवधि ड्यूटी की अवधि मानी जाती है।

(ii) उनकी शिकायतों का पता लगाने और उनका निराकरण करने के लिए सैनिकों के साथ अधिकारियों का नियमित संवाद।

(iii) कार्य के घंटों को नियंत्रित करके पर्याप्त आराम एवं राहत सुनिश्चित करना।

(iv) सैनिकों के रहन-सहन की दशाओं में सुधार करना, उन्हें पर्याप्त मनोविनोद/ मनोरंजन, खेल, संचार की सुविधाएं आदि प्रदान करना। महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा (जहां भी व्यवहार्य हो) भी प्रदान की जाती है।

(v) हाउसिंग स्टॉक इन्वेंटरी के साथ-साथ सीएपीएफ और एआर कार्मिकों के पारिवारिक आवास के आवंटन के बारे में जानकारी को सुव्यवस्थित करने के लिए दिनांक 01.09.2022 को 'सीएपीएफ ई-आवास' पोर्टल की शुरुआत की गई।

(vi) पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (राज्य की राजधानियों को छोड़कर) में तैनाती के दौरान पिछली तैनाती वाले स्थान पर (परिवार को रखने के लिए) सरकारी आवास को अपने पास रखने की सुविधा।

(vii) बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना तथा साथ ही उनकी व्यक्तिगत एवं मनो-वैज्ञानिक चिंताओं के निवारण के लिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत का आयोजन करना और तनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए नियमित रूप से ध्यान एवं योग का आयोजन करना।

(viii) पीएमजेएवाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवारत सीएपीएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत सीएपीएफ योजना की शुरूआत की गई।

(ix) कठिन क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति प्रदान करना।

(x) अन्य कल्याणकारी उपाय, जैसे कि केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी), बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आदि की सुविधा। पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) कार्मिकों को हवाई कोरियर सेवा भी उपलब्ध कराई गई है।

(xi) बेहतर पहचान तथा समाज में सम्मान देने के लिए सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों को पूर्व-सीएपीएफ कार्मिक का नाम देना।

(xii) सीएपीएफ, असम राइफल्स (एआर) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के कार्मिकों के तनाव के स्तर को कम करने के लिए, गृह मंत्रालय, सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के लिए "जीने की कला" पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(xiii) जब कभी रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, तब पात्र कार्मिकों को नियमित रूप से पदोन्नति दी जाती है। रिक्तियों के अभाव में पदोन्नति न होने की स्थिति में 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी होने पर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) के तहत वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं।

******